



प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ/कानपुर/अयोध्या/बांदा ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर, 2026

विषय: कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों (जोन्स) में दो-दो कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पत्र सं0-ए.एन.डी.यू.ए.टी.-लेखा/बजट/2026-27, दिनांक 175, दिनांक 25.05.2026, निदेशक, प्रसार, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पत्रांक:841/नि0प्र0/2023-23, दिनांक 01.09.2026, निदेशक, प्रसार, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा का पत्र संख्या:BUAT/DE/2026/1618, दिनांक 09.08.2026 एवं वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक:सवप/2026/वि0नि0/ 616, दिनांक 03.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों (जोन्स) में दो-दो कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने हेतु संगत कृषि जलवायु जोन के अनुकूल चयनित फसल/प्रणाली/तकनीक हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रावधानित रु.900.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष निम्न तालिका के कालम-4 में अंकित 18 कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु, प्रत्येक केन्द्र के लिए कालम-11 में अंकित प्रथम किश्त की धनराशि कुल रु. 225.00 लाख (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	कृषि वि0वि0 का नाम	कृषि जलवायुवीय क्षेत्र	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम	कृषि जलवायुवीय क्षेत्र/ जनपद की उपयुक्तता	योजना की कुल लागत (राजस्व मद)	अद्यावधिक रूप से शासन द्वारा निर्गत की गयी कुल धनराशि	व्यय की गयी कुल धनराशि	समर्पित की गयी कुल धनराशि	योजना को पूर्ण करने के लिये आवश्यक अवशेष धनराशि	चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष निर्गत प्रथम किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ	तराई जोन	बिजनौर (1)	ऑर्गेनिक बासमती चावल	139.50	126.00	44.67	81.33	94.83	12.50
2			सहारनपुर(2)	मसरूम, आम तथा मधुमक्खी पालन	187.00	138.71	48.98	89.73	138.02	12.50
3		पश्चिमी मैदानी	बागपत (3)	गन्ना एवं गूड़	224.69	147.59	53.19	94.40	171.50	12.50
4			मेरठ (4)	पुष्प (कार्नेशन, ग्लेडलाई, ट्यूबरोज, गुलाब, जरबेरा)	191.50	142.12	23.00	119.12	168.50	12.50
5		मध्य पश्चिमी	रामपुर (5)	मक्का उत्पादन प्रसंस्करण एवं	130.00	124.42	32.58	91.84	97.42	12.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		मैदानी		मूल्य संवर्धन						
6			बदायूं (6)	मुर्गी पालन एवं प्रसंस्करण	146.46	124.81	70.85	53.96	75.61	12.50
				योग-	1019.15	803.65	273.27	530.38	745.88	75.00
7	कृषि विश्वविद्यालय,	दक्षिणी पश्चिमी	अलीगढ़ (7)	मधुमक्खी पालन, सरसों	80.35	31.25	11.53	19.72	68.82	12.50
8	कानपुर	अर्ध शुष्क	मैनपुरी (8)	मूंगफली उत्पादन प्रसंस्करण एवं मूल्य/ गुणवत्ता संवर्धन	153.00	37.50	0.00	37.50	153.00	12.50
9		मध्य मैदानी	इटावा (9)	आलू उत्पादन प्रसंस्करण एवं मूल्य/ गुणवत्ता संवर्धन, बाजरा एवं ज्वार	168.00	37.50	11.57	25.93	156.43	12.50
10			फतेहपुर(10)	बकरी एवं मुर्गी पालन एवं प्रसंस्करण	148.50	37.50	13.57	23.93	134.93	12.50
				योग-	549.85	143.75	36.67	107.08	513.18	50.00
11	कृषि विश्वविद्यालय,	पूर्वी मैदानी	मऊ (11)	धान + गेहूं विविधीकरण	117.70	90.00	54.07	35.93	63.63	12.50
12	अयोध्या		वाराणसी(12)	सब्जी प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन	161.00	111.25	104.00	7.25	57.00	12.50
13		उत्तरी पूर्वी मैदानी	बलरामपुर(13)	मत्स्य आधारित एकीकृत फसल प्रबन्धन	119.00	86.25	57.67	28.58	61.33	12.50
14			गोरखपुर(14)	लीची, अमरूद तथा आम उत्पादन प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन	101.11	85.00	51.31	33.69	49.80	12.50
15		विन्ध्य	सोनभद्र (15)	शुष्क औद्योगिकी एवं मोटा आनाज	107.64	107.50	60.31	47.19	47.33	12.50
16			चन्दौली (16)	औंला अल्प प्रचलित फल एवं औषधीय पौधे	168.18	93.02	35.73	57.29	132.45	12.50
				योग-	774.63	573.02	363.09	209.93	411.54	75.00
17	कृषि विश्वविद्यालय, बांदा	बुन्देलखण्ड	बांदा (17)	प्राकृतिक कृषि आर्गनिक एवं ड्राई लैंड फार्मिंग	157.47	120.83	94.91	25.92	62.56	12.50
18			हमीरपुर (18)	दलहन उत्पादन प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन	135.15	116.63	68.61	48.02	66.54	12.50
				योग-	292.62	237.46	163.52	73.94	129.10	25.00
				कुल योग-	2636.25	1757.81	836.55	921.33	1799.70	225.00

(रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों,

- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा वस्तुतः जिसे हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। अन्य किसी कार्य/मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।
- योजनान्तर्गत कराये गये कार्य एवं उपलब्धियों को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 31.03.2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोग प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी धनराशि का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा।
6. प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु आई.सी.ए.आर. द्वारा निर्धारित मानको एवं प्रोटोकाल तथा सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।
8. उक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति / निदेशक प्रसार तथा निदेशक शोध का होगा।
9. प्रश्नगत परियोजना हेतु वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुये विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में पृथक से योजनावार विवरण रखा जायेगा।
11. अनुदान के देयक कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रति हस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
12. कुलपति/ वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरांत सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,25,00,000 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2415010040406** कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों को 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जाना **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदरी) प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा।
4. कोषाधिकारी, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
7. सचिव, 30प्र0, कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।